राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 5 (290)निपेवि/नियम/2016/579-650 H   जयपुर, दिनांक 12 मार्च, 2019

समस्त अतिरिक्त निदेशक, पेंशन विभाग
कोषाधिकारी(समस्त)——————राजस्थान
पेंशन वितरण हेतु अधिकृत (समस्त बैंक)

विषयः— सेवानिवृत कर्मचारियों के प्रथम पेंशन भुगतान हेतु पीपीओ/एफपीपीओ/जीपीओ /सीपीओ डिजीटल हस्ताक्षर कर जारी करते हुए भुगतान करवाने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के वित्त(बीमा/पेंशन)विभाग के परिपत्र क्रमांक पं0 10(21)वित्त/राजस्व/2015/लूज दिनांक 26.02.2018 की पालना हेतु आपको इस विभाग के पत्र क्रमांक 1082—1132एच दिनांक 09.04.2018 के द्वारा कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था । परिपत्र मे अंकित प्रक्रिया को अपनाते हुए पेंशन विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा ईपीपीओ/एफपीपीओ जारी कर अग्रिम कार्यवाही हेतु कोषालयों को भिजवाये जा रहे है तथा कोषागारों के द्वारा प्राप्त ईपीपीओ/एफपीपीओ पर आवश्यक कार्यवाही कर बैंको को नियमित भुगतान हेतु अग्रेषित किये जा रहे है किन्तु आपके द्वारा भिजवाये जा रहे ईपीपीओ/एफपीपीओ में विभिन्न प्रकार की कमियॉ छोड दिये जाने के कारण पेंशन को समय पर पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है जिससे पेंशनर्स को काफी परेशानी हो रही है । विभिन्न पीपीओ में पायी कमियों को ध्यान में रखते हुए आपसे यह आग्रह किया जाता है कि भविष्य में आपके द्वारा ईपीपीओ अग्रेषित करते समय निम्नलिखित दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रकरणों का निस्तारण किया जाये:—

<u>पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:—</u>

1 विभाग के सभी सहायक/उप/संयुक्त/अतिरिक्त निदेशकों द्वारा ई—अधिकृति सिविल पेंशन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर से अधिकृतियों/ प्रपत्रों को जारी की जा रही है । उक्त के जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि जिस पेंशनर का प्रकरण निस्तारित किया जा रहा है उसी के निम्न प्रपत्र साथ में अग्रेषित होना आवश्यक है:—

1 अग्रेषण प्रपत्र का अग्र भाग- पेंशनर द्वारा पेंशन भुगतान से संबंधित प्रमाण पत्र यथा जीवन प्रमाण पत्र, पुनर्नियोजन नहीं होने का प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र एवं पेंशनर द्वारा पेंशन भुगतान हेतु चयनित बैंक/शाखा का विवरण /खाता संख्या का विवरण)

2 पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर अधिकृति का अग्र भाग

3 उपादान अधिकृति का अग्र भाग
4 रूपान्तरण अधिकृति का अग्र भाग
5 संबंधित पेंशनर की सही व पठनीय वर्णानात्मक नामावली (Description Roll) ।

2/ कोषाधिकारी के द्वारा ई–पीपीओ पर निम्नानुसार कार्यवाही कर पालना की जाये:–

1 पेंशन के ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर युक्त अग्रेषण पत्र, सभी अधिकृतियों एवं स्केन्ड डी–रोल का उपयोग ऑनलाईन प्रथम भुगतान हेतु किया जाये। पेंशन विभाग से प्राप्त उक्त सभी अधिकृतियों व स्केन्ड डी–रोल की जॉच कर ली जावे कि वे संबंधित पेंशनर के ही है अथवा नही ? अगर नहीं है तो तत्काल जारी करने वाले अधिकारी को लौटाये जाये।
2 संबंधित पेंशनर के द्वारा भुगतान प्राप्त करने हेतु कोष कार्यालय में उपस्थिति होने पर आवश्यक पूर्तियॉ पूर्ण कर संबंधित पेंशनर को पे मैनेजर के माध्यम से प्रथम पेंशन, जीपीओ/सीपीओ के भुगतान के पश्चात्, नियमित पेंशन के भुगतान हेतु जीपीओ एवं सीपीओ का भुगतान व पेंशन के भुगतान आदि की प्रविष्टि करने के पश्चात एलपीसी, बैंक अथोरिटी, पीपीओ हॉफ पर इन्द्राज कर ही सम्बन्धित भुगतान कर्ता बैंकों एवं सीपीपीसी बैंक को प्रेषित करें ।
3 सिविल पेंशन पोर्टल एवं पे–मैनेजर पोर्टल के माध्यम से कोषाधिकारी द्वारा संबंधित पेंशन प्रकरण की सभी ई–अधिकृतियों/ संबंधित पेंशनर की स्केन्ड वर्णानात्मक नामावली, पेंशनर द्वारा प्रस्तुत की गई वांछित अंडरटेकिंग की स्केन्ड कॉपी, पेंशनर का पैन कार्ड एवं बैंक के केन्सिल किये हुये चैक की स्केन्ड कॉपी आदि यह जॉच करने के बाद अग्रेषित करें कि पीपीओ, वर्णात्मक नामावली, पेंन कार्ड व बैंक की पास बुक व चैक पर अंकित नाम समान है । अगर किसी भी दस्तावेज में नाम भिन्न है, तो बैंक एकाउन्ट में नाम सही अंकित करवाकर प्रस्तुत करने हेतु पेंशनर को आग्रह किया जाये तथा दुरस्त होकर प्राप्त होने पर ही अंकित नाम के मिलान के पश्चात् ही संबंधित कोषाधिकारी के द्वारा संबंधित बैंक को डिजिटल हस्ताक्षरित कर उक्त सभी विवरणों को अग्रेषित किया जाये ।
4 कोषाधिकारी के स्तर पर पैन कार्ड, बैंक एकाउन्ट का विवरण, आईएफएससी आदि का मिलान करना भी सुनिश्चित करें ।
5 बैंको को भिजवायी गये पीपीओ का 15 दिवस में स्वीकार/अस्वीकार होने की जानकारी प्राप्त न होने पर संबंधित बैंक की सीपीपीसी से सम्पर्क कर कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें ।
6 पीडीएफ फाईल व एक्सएमएल फाईल के डेटा को मिलान करने के बाद ही बैंको को अग्रेषित की जाये । भिन्नता होने पर सुधार के बाद ही अग्रेषित की जाये ।
7 अन्य प्रकिया वित्त विभाग के उक्त अंकित पत्र में अनुसार पालना सुनिश्चित की जाये ।

बैंकों के सीपीपीसी द्वारा डिजिटल ई–पीपीओ/ई–एफपीपीओ का उपयोग :–

1/ कोषाधिकारी से प्राप्त ई–अधिकृतियों/ संबंधित पेंशनर की स्केन्ड वर्णानात्मक नामावली, पेंशनर द्वारा प्रस्तुत की गई वांछित अंडरटेकिंग की स्केन्ड कॉपी, पेंशनर का पैन कार्ड एवं बैंक के केन्सिल किये हुये चैक की स्केन्ड कॉपी आदि को डाउन लोड कर तत्काल जॉच कर अपने सॉफ्टवेयर में शामिल करने की कार्यवाही की जाये । अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी पायी जाती है तो संबंधित पेंशनर व कोषाधिकारी को कमीं अवगत करवाते हुए मैसेज भिजवाना सुनिश्चित किया जाये ।

2/ ई–पीपीओ को स्वीकार/अस्वीकार करने की सूचना कोषाधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

3/ आधार कार्ड का विवरण उपलब्ध नहीं होने पर ईपीपीओ को अस्वीकार नहीं किया जाये ।

4/ कोषाधिकारी से प्राप्त ई–पीपीओ को स्वीकार करने के बाद तत्काल पेंशनर को पेंशन भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

Sd/-
(जमन लाल जांगिड)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1/ समस्त अधिकारीगण कार्यालय हाजा

2/ विशेषाधिकारी, कार्यालय हाजा

3/ ए0सी0पी0 एवं उप निदेशक, कम्प्यूटर्स, को भिजवाकर लेख है कि समस्त बैंकों, कोषाधिकारियों/ अतिरिक्त निदेशको को मेल भिजवाना सुनिश्चित करें ।

4/ वरिष्ठ तकनीकि निदेशक, एनआईसी, कार्यालय हाजा

अतिरिक्त निदेशक